

विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या-55/वि0प0-04सं0/2025

दिनांक : 04 फरवरी, 2026

प्रेषक,

डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त सदस्य,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- सदन का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या-43/वि0प0-03सं0/2026, दिनांक 31 जनवरी, 2026 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीया राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के दिनांक 09 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक के अनन्तिम कार्यक्रम पर सहमति प्रदान करते हुये उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में संविधान के अनुच्छेद-202 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-210 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के लिये दिनांक 11 फरवरी, 2026 की तिथि नियत की है। तदनुसार उक्त वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आय-व्ययक दिनांक 11 फरवरी, 2026 (बुधवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा अनन्तिम रूप में स्वीकृत, दिनांक 09 फरवरी, 2026 से दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक की बैठकों का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम आपके सूचनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक : प्रस्तावित कार्यक्रम।

भवदीय,

डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या-55(1-32)/वि0प0-04सं0/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिव को, माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के सूचनार्थ,
- 2-माननीय सभापति जी के निजी सचिव को, माननीय सभापति जी के सूचनार्थ,

- 3-माननीय नेता सदन, विधान परिषद् के निजी सचिव को, माननीय नेता सदन के सूचनार्थ,
- 4-माननीय नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के निजी सचिव को, माननीय नेता विरोधी दल के सूचनार्थ,
- 5-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 6-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 7-मुख्य सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन,
- 8-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली,
- 9-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 10-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 11-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 12-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् के निजी सचिव को, प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ,
- 13-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 14-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 15-प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
- 16-प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
- 17-प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त प्रदेशीय विधान मण्डल, भारतवर्ष,
- 18-पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, लखनऊ,
- 19-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ,
- 20-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 21-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 22-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,
- 23-अधीक्षक, पुलिस सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, लखनऊ,
- 24-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश,
- 25-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 26-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ,
- 27-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ब्रान्च प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ,
- 28-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,
- 29-अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ,
- 30-समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
- 31-विशेष कार्याधिकारी (प्रकाशन), विधान परिषद् को वेबसाइट हेतु,
- 32-सम्पादक, विधान परिषद् को मा0 सदस्यगणों को दूरभाष पर सूचित किये जाने हेतु।

संजय मेहरोत्रा,

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम

फरवरी, 2026

09 सोमवार	1-11:00 बजे पूर्वाह्न राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण। 2-12:30 बजे अपराह्न (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना। (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
10 मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।
11 बुधवार	1-11:00 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।
12 गुरुवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
13 शुक्रवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा एवं पारण।
14 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
15 रविवार	बैठक नहीं होगी।
16 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
17 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
18 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
19 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
20 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। 2-04:00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026, जैसा विधान सभा द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण।

विगत सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश

- 1-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2026)
 - 2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2026)
 - 3-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2026)
 - 4-उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2026)
-